CENTRAL LAB - 1st FLOOR, HOSPITAL BUILDING.

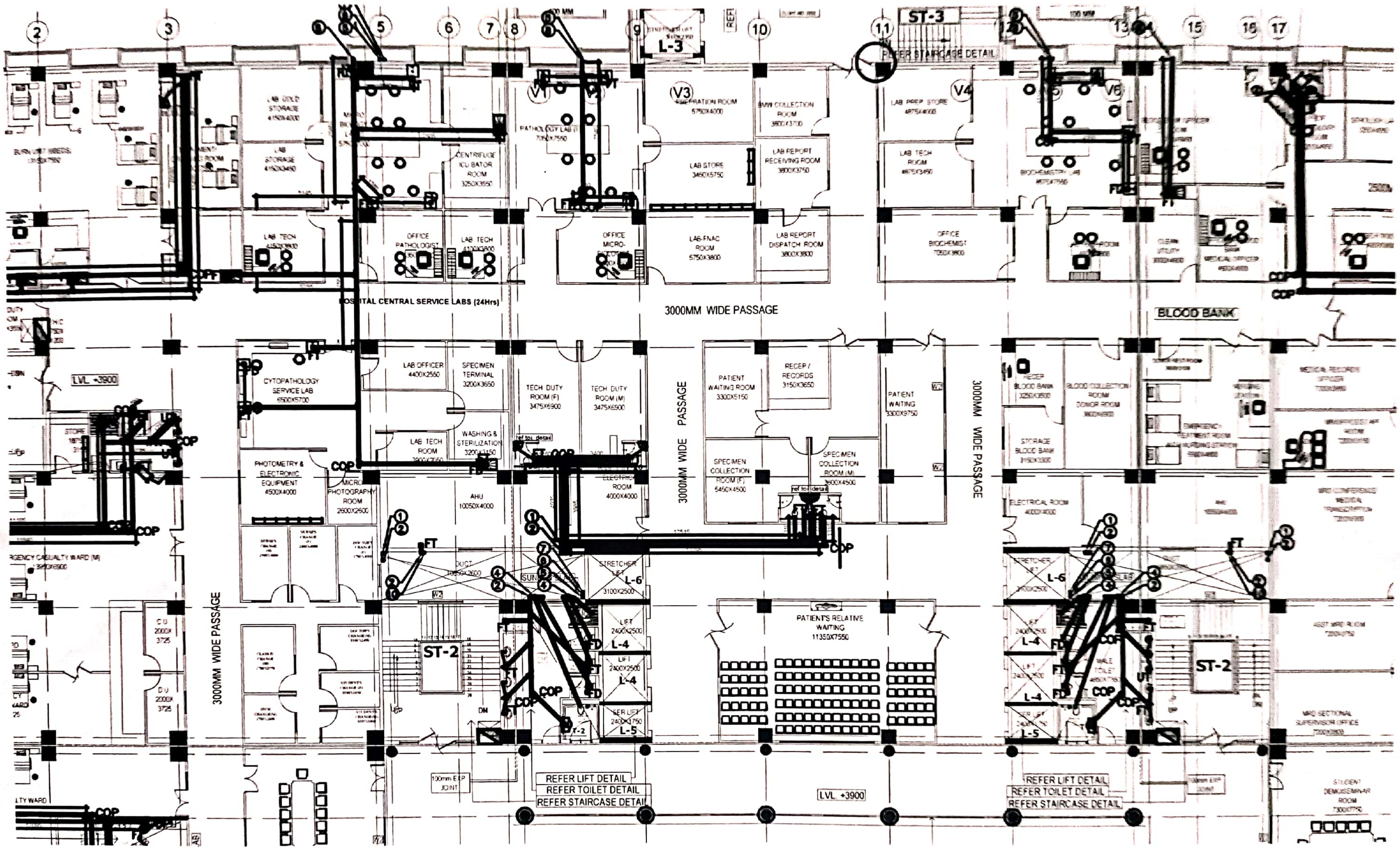

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक – राजस्व/08/1936 दिनांक – 22/4/10

महानिदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन सी आई जी मार्ग,
नई दिल्ली।

विषय – ग्राम देसूला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आंवटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय आदेश कमांक राजस्व/08/818–27 दिनांक 26.02.09 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली को ग्राम देसूला खसरा नम्बर 1523/1.68, 1524/2.61, 1525/1.47, 1526/0.59, 1527/0.79, 1853/1.44, 1859/1.19, 1860/0.95, 1861/0.21, 1862/0.35, 1863/0.63 कुल किता 11 कुल रकबा 11.91 है0 अर्थात 29.431 ऐकड भूमि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आवंटन की गयी है।

अतः उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्न – यथोपरि।

भवदीय,

जिला कलक्टर,
अलवर

D/Revenue/Ramesh Latter 2009

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक – राजस्व/08/ दिनांक –

—— : आदेश :——

प्रमुख शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा अ0शा0 पत्र क्रमांक एफ. 21(1) एल एवं ई/09 दिनांक 12.02.09 के साथ महानिदेशक कर्मचारी राज्य बिमा निगम नई दिल्ली का अ0शा0 पत्र क्रमांक डीजी/मेडिकल कॉलेज/लैण्ड/01/08 दिनांक 27.08.08 संलग्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 90 दिवसीय कार्ययोजना के अन्तर्गत ई एस आई मेडिकल कॉलेज को 25 ऐकड भूमि आवंटन हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी अलवर से तहसील अलवर ग्राम देसूला खसरा नम्बर 1523/1.68, 1524/2.61, 1525/1.47, 1526/0.59, 1527/0.79, 1853/1.44, 1859/1.19, 1860/0.95, 1861/0.21, 1862/0.35, 1863/0.63 कुल किता 11 कुल रकबा 11.91 है0 अर्थात 29.431 ऐकड भूमि के मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त हुऐ।

प्रस्तावित भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपखण्ड अधिकारी अलवर से प्राप्त प्रस्ताव संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर को भिजवायें गये। जिनके पत्र क्रमांक प. 11(45) भू.अ./संआजे/08/162 दिनांक 20.02.09 से भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ द्वारा प्रस्तातिव भूमि आवंटन बाबत अनापत्ति दी गयी है तथा सीटीपी एन सी आर जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक टीपीआर/एनसीआर/भू0आ0/अलवर/09/141 दिनांक 19.02.09 से भूमि आवंटन के संबंध में सशर्त अनापत्ति दी गयी हैं।

शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक पं.6(39) राज–3/09 दिनांक 20.02.09 व संशोधित आदेश दिनांक 25.02.09 के द्वारा ग्राम देसूला खसरा नम्बर 1523/1.68, 1524/2.61, 1525/1.47, 1526/0.59, 1527/0.79, 1853/1.44, 1859/1.19, 1860/0.95, 1861/0.21, 1862/0.35, 1863/0.63 कुल किता 11 कुल रकबा 11.91 है0 अर्थात 29.431 एकड की किस्म चारागाह से खारिज कर राजकीय परिपत्र दिनांक 02.03.87 के अन्तर्गत ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आंवटन किये जाने एवं चारागाह की क्षतिपूर्ति में शिथिलता प्रदान कर राजकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में ग्राम देसूला खसरा नम्बर 1523/1.68, 1524/2.61, 1525/1.47, 1526/0.59, 1527/0.79, 1853/1.44, 1859/1.19, 1860/0.95, 1861/0.21, 1862/0.35, 1863/0.63 कुल किता 11 कुल रकबा 11.91 है0 अर्थात 29.431 ऐकड की किस्म चारागाह से खारिज कर राजकीय परिपत्र दिनांक 02.03.87 के अन्तर्गत ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली को निम्न शर्तो पर निःशुल्क भूमि आवंटन की जाती है :–

शर्त :–

01. आवंटित आराजी की नियमानुसार लीज डीड सम्पादित कराई जावेंगी।
02. आवंटन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आवंटन आराजी का किसी प्रकार का बेचान, रहन एवं हस्तान्तरण नही किया जावेंगा।
03. भूमि जिस प्रयोजनार्थ आवंटन हुई है, उसी प्रयोजन के काम में ली जावेंगी।

D/Ramesh/ ordear/2008

Scanned by CamScanner

04 आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृति जारी होने की 6 माह की अवधी में आरंम्भ किया जाकर 2 वर्ष की अवधी में पूर्ण कराया जावेंगा।

05. अलवर मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि का प्रस्तावित भू उपयोग डेयरी ओरचर्डस नर्सरीज रोड एवं इण्डस्ट्रीयल रोड एवं इण्डस्ट्रीयल है। अतः प्रस्तावित भूमि का भू उपयोग परिवर्तन डेयरी ओरचार्डस नर्सरीज, रोड एवं इण्डस्ट्रीयल से कॉलेज करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

06. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–प्रथम अलवर के पत्र कमांक 14104 दिनांक 18.02.09 के अनुसार प्रस्तावित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1516 की पूर्वी सीमा तक नियमित पहुॅच मार्ग रीको द्वारा निर्मित मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की सडक है। मौके पर उक्त सडक की चौडाई लगभग 30 मीटर है। अतः प्रस्तावित भूमि के लिए नियमित पहुॅच मार्ग हेतु उक्त रीको सडक को प्रस्तावित भूमि तक बढाने हेतु उक्त सडक के 30 मीटर अथवा रीको के प्लान अनुसार जो भी अधिक हो, मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोडनी होगी एवं आवंटित नही की जावेगी। रास्ते के मार्गाधिकार की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, जिसमें बाउन्ड्रीवाल भी शामिल है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नही किया जावेगा।

07. प्रस्तावित भूमि में विद्यमान 132 केवी एवं 33 केवी हाई टेन्शन लाईनों से निर्माण की दूरियों के संबंध में विंधुत नियम के प्रावधान लागू होंगे।

08. अलवर – दिल्ली रोड से ग्राम देसूला से होकर प्रस्तावित भूमि के पश्चिम में स्थित रास्ते के 18 मीटर मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि छोडनी होगी एवं आवंटित नही की जावेंगी। रास्ते के मार्गाधिकार की भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, जिसमें बाउन्ड्रीवाल भी शामिल है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नही किया जावेगा।

09. प्रस्तावित भूमि में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उक्त रीको सडक की और एवं पश्चिम में उक्त 18.0 मीटर चौडे रास्ते की और सामने के सेटबेक 18.0–18.0 मीटर एवं शेष दोनो और के सेटबेक 9.0–9.0 मीटर रखे जावेंगे। अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 35 प्रतिशत एवं अधिकतम एफएआर 1.0 रखा जावेगा।

10. मेडिकल कॉलेज से संबंधित तथा आगन्तुकों के वाहनों की पार्किग मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार तथा प्रस्तावित स्थल के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चित किया जावेंगा।

11. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित स्थल हेतु उक्त रीको सडक से केवल एक प्रवेश द्वार रखा जावेंगा।

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये भवन संबंधी संगत सुविधायें यथा कुर्सी तल तक पहुॅच मार्ग, विकलांगो के लिये प्रवेश/निकास द्वारों को जोडने का गलियारा, सीढी मार्ग, शौचालय, पेयजल इत्यादि का निर्माण सुनिश्चित किया जावेंगा।

13. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार भू–गर्भ का जलस्तर बढाने हेतु वर्षा के पानी को एकत्रित

Scanned by CamScanner

करने के लिये समुचित क्षमता का भूमिगत एक या एक से अधिक टैंक बनाया जावेगा तथा जल के रिसाव हेतु बोरवेलनुमा अथवा सोक पीट जैसी अन्य व्यवस्था की जावेगी।

14. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार जल मल संबंधी विभिन्न व्यवस्थाऐं राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।

15. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित ई एस आई मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु मापदण्ड मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनिमय 2000 प्रारूप के प्रावधानानुसार रखे जावेंगे।

16. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने नियमों आदि (यदि लागू होते हों) के सभी संबंधित प्रावधानों की दृढतापूर्वक पालना की जावेगी।

17. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रस्तावित ई एस आई मेडिकल कॉलेज का निर्माण, सक्षम ऑथोरिटी से मानचित्र अनुमोदित कराने के पश्चात किया जावेगा।

18. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बारिश के दिनों में पानी के निकास एवं होने वाले कटाव को रोकने के लिये उचित प्रबंध किये जावेंगे।

19. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सम्पूर्ण भूमि को ई एस आई मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त अन्य उपयोग में नही लिया जावेगा।

20. उक्त शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

जिला कलेक्टर,
अलवर

क्रमांक – राजस्व/08/ 818-27

दिनांक – 26/2/09

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
02 प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव श्रम एवं नियोजक विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
05. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर।
07. उपखण्ड अधिकारी अलवर।
08. तहसीलदार अलवर नियमानुसार आवंटित आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करायें एवं तितम्बा कांटा जावें।
09. संरपच ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जर्ये तहसीलदार रामगढ।
10. रक्षित पंत्रावली।

जिला कलेक्टर,
अलवर

D/Ramesh/ ordear/2008

Scanned by CamScanner

Annexure-9(R)

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक – राजस्व/10/ दिनांक –

—: आदेश :—

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 818–27 दिनांक 26.02.09 से ख0 नं0 1853 रकबा 1.44 है0 भूमि ग्राम देसूला तह0 अलवर को ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की गई थी। शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर द्वारा पत्राक प.6(39)राज/3/09 जयपुर दिनाक 01.06.10 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उक्त आवंटन भूमि में से 0.93 है0 भूमि निजी खातेदारों को विनिमय मे दिये जाने हेतु आवंटन निरस्त किया जाता है तथा सिवायचक भूमि ख0 नं0 1856 व 1857 रकबा 0.45 व 0.48 है0 कुल किता 2 रकबा 0.93 है0 भूमि ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की जाती है।

एवं इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 9911–22 दिनांक 16.12.09 से ख0 नं0 1523/1914 रकबा 0.38 है0 कुल किता 5 रकबा 3.01 है0 भूमि ग्राम देसूला तह0 अलवर को ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि आवंटन की गई थी। इसके स्थान पर ख0 नं0 1523/1914 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 रकबा 2.84 है0 पढ़ा जावे।

पूर्व में निजी खातेदारों के रास्ते हेतु आराजी खसरा नम्बर 1858 में से 0.10 है0 भूमि निजी खातेदारों के रास्ता हेतु छोडकर 0.60 है0 भूमि आवंटन की गई थी। अब 0.60 है0 के स्थान पर पूर्ण रकबा 0.70 है0 भूमि आवंटन की जाती है। इस प्रकार कुल 14.65 है0 भूमि निशुल्क आवंटन की जाती है।

जिला कलक्टर,
अलवर।
दिनांक – 01.6.2010

क्रमांक – राजस्व/10/3368-78

प्रतिलिपि :– **निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

01. निजी सचिव माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव श्रम एवं नियोजक विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
05. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर।
07. महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग नई दिल्ली।
08. उपखण्ड अधिकारी अलवर।
09. तहसीलदार अलवर नियमानुसार आवंटित आराजी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करायें एवं तितम्मा कांटा जावें।
10. संरपच ग्राम पंचायत देसूला पंचायत समिति रामगढ जर्ये तहसीलदार रामगढ।
11. जिला जंन सम्पर्क अधिकारी अलवर।
12. रक्षित पंत्रावली।

जिला कलक्टर,
अलवर।

39D/Revenue/Ramesh 2/Order 2010

Scanned by CamScanner

Annexure-

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

दिनांक –

क्रमांक – राजस्व / 09 /

आदेश :–

महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा ग्राम देसूला में 11.91 है0 अर्थात 29.431 एकड भूमि ई.एस.आई. राजकीय मेडिकल कॉलेज को आवंटन की गई भूमि के पास स्थित अन्य अतिरिक्त भूमि आवंटन हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस संबध में तहसीलदार अलवर से ग्राम देसूला की आराजी खसरा नम्बर 1854/0.41 है0, 1855/0.76 है0, 1858/0.60 है0 भूमि (0.10 है0 भूमि रास्ता के लिए छोडते हुए) 1517/0.76 है0 किस्म चारागाह एवं 1523/1914/0.38 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से कुल किता 5 कुल रकबा 3.01 है0 भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर को लिखा गया।

शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर ने पत्रांक प.6(39) राज–3/09 दिनांक 10.12.09 के द्वारा ग्राम देसूला आराजी खसरा नम्बर 1854/0.41 है0, 1855/0.76 है0, 1858/0.60 है0 भूमि (0.10 है0 भूमि रास्ता के लिए छोडते हुए) 1517/0.76 है0 किस्म चारागाह एवं 1523/1914/0.38 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से कुल किता 5 कुल रकबा 3.01 है0 भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय परिपत्र दिनांक 02.03.87 के अन्तर्गत ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त भूमि निशुल्क आंवटन किये जाने एव चारागाह की क्षतिपूर्ति में शिथिलता प्रदान कर राजकीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है के प्रकरण में नगर नियोजक विभाग द्वारा भू संपरिवर्तन की एवं अन्य शर्तो की जो आरोपित की है। उनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में ग्राम देसूला आराजी खसरा नम्बर 1854/0.41 है0, 1855/0.76 है0, 1858/0.60 है0 भूमि (0.10 है0 भूमि रास्ता के लिए छोडते हुए) 1517/0.76 है0 किस्म चारागाह एवं 1523/1914/0.38 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से कुल किता 5 कुल रकबा 3.01 है0 भूमि की किस्म खारिज कर राजकीय परिपत्र दिनांक 02.03.87 के अन्तर्गत ई एस आई राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली को अतिरिक्त निःशुल्क भूमि आवंटन की जाती है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 818–27 दिनांक 26.02.09 में अंकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

जिला कलक्टर,
अलवर

Scanned by CamScanner

Annexure

LAND AT :-TOTAL STATION SURVEY PLAN AT DESULA VILLAGE ,M.I.A. ALWAR(RAJ.)

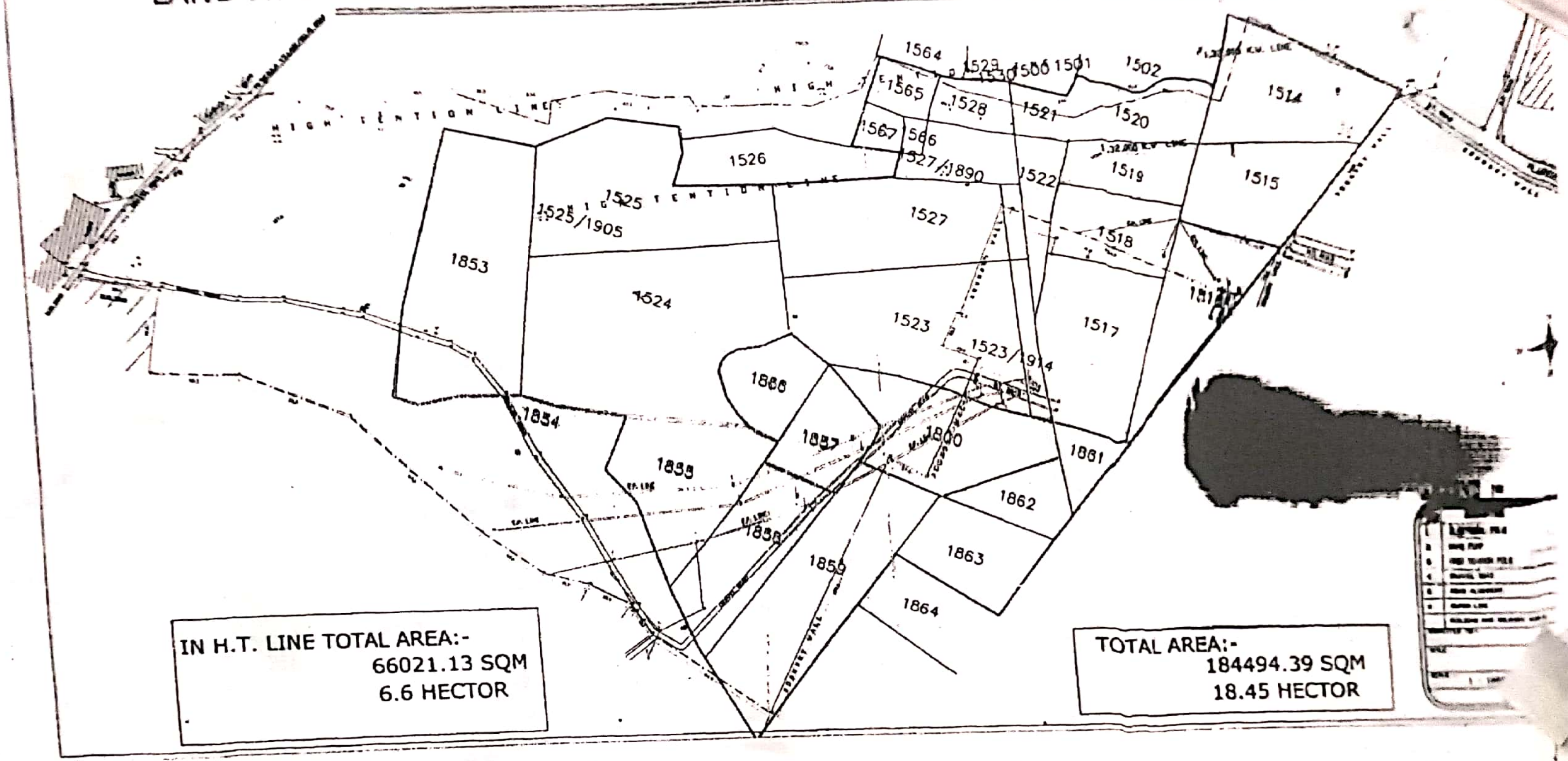

IN H.T. LINE TOTAL AREA:-
66021.13 SQM
6.6 HECTOR

TOTAL AREA:-
184494.39 SQM
18.45 HECTOR

Scanned by CamScanner